भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *333

दिनांक 11/08/2026 को उत्तरार्थ

पंचायती राज संस्थाओं में महिला प्रतिनिधि

†*333. श्री खगेन मुर्मुः

डॉ. राजेश मिश्राः

क्या **पंचायती राज** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा ओडिशा, तेलंगाना, गुजरात, कच्छ और जगतियाल जिलों तथा क्योंझर, जलगांव, शहडोल और देवास-शाजापुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों सहित देश में पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की भागीदारी, नेतृत्व क्षमता और प्रभावी कामकाज को सुदृढ़ करने के लिए राज्य और जिला-वार क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं में महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों (डब्ल्यूईआर) के नेतृत्व और भागीदारी को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से बनाए गए कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान उक्त राज्यों, जिलों और निर्वाचन क्षेत्रों सहित राज्य, वर्ष और जिला-वार कुल कितनी महिला प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया गया और क्षमता निर्माण संबंधी सहायता प्रदान की गई है तथा कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई और उपयोग में लाई गई है;

(घ) ओडिशा, गुजरात, क्योंझर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित राज्य-वार तथा वर्ष और जिला-वार महिलाओं के नेतृत्व वाले शासन, डिजिटल सशक्तिकरण, वित्तीय साक्षरता और जमीनी स्तर पर प्रभावी निर्णय लिए जाने को बढ़ावा देने के लिए क्या पहल की गई हैं;

(ङ) पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व को सुदृढ़ करने के संबंध में ऐसी पहलों के प्रभाव का आकलन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) विशेषकर जलगांव लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित महाराष्ट्र में तथा राज्य और जिला-वार महिला प्रतिनिधियों के लिए नेतृत्व और शासन संबंधी प्रशिक्षण से संबंधित विशिष्ट कार्यक्रम चलाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) से (च): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

पंचायती राज संस्थाओं में महिला प्रतिनिधियों के संबंध में दिनांक 11.08.2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *333 (13वाँ स्थान) के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) पंचायत, "स्थानीय स्वशासन" होने के नाते, राज्य का विषय है और भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची का हिस्सा है। तदनुसार, पंचायतों की क्षमता सुदृढ़ करना मुख्य रूप से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की जिम्मेदारी है, जिसके लिए मंत्रालय द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। हालांकि, मंत्रालय पंचायती राज संस्थाओं (पी.आर.आई.) की सहायता के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष **2022-23** से संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आर.जी.एस.ए.) की केंद्र प्रायोजित योजना को लागू कर रहा है। इस योजना के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं (पी.आर.आई.) के प्रभावी कामकाज के लिए नेतृत्व क्षमता और शासन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों (ई.आर.) निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों (डब्ल्यू.ई.आर.) सहित अन्य हितधारको को प्रवेशकालिक, रिफ्रेशर, विषय-आधारित पंचायत विकास योजना प्रशिक्षण आदि के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाता है। संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत वर्ष **2022-23** से वर्ष **2026-27** तक (दिनांक **10.07.2026** की स्थिति के अनुसार) के दौरान ओडिशा, तेलंगाना, गुजरात, सहित प्रशिक्षण प्रदान किए गए निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

(ख) संशोधित आरजीएसए (आर.जी.एस.ए.) का समग्र बाह्य मूल्यांकन ग्रामीण प्रबंधन संस्थान, आनंद (आई.आर.एम.ए.) के माध्यम से कराया गया है, जिसमें क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का आकलन

किया गया तथा पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए सुधारात्मक उपायों की अनुशंसा की गई**,** जिसमें महिला निर्वाचित प्रतिनिधि (डब्ल्यू.ई.आर.) भी शामिल हैं। तथापि**,** पंचायती राज संस्थाओं में महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों के नेतृत्व और सहभागिता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से संचालित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की कोई स्वतंत्र समीक्षा नहीं की गई है**,** क्योंकि पंचायत राज्य का विषय है।

(ग) संशोधित आर.जी.एस.ए योजना के तहत, पिछले तीन वित्तीय वर्षों (वर्ष 2023-24 से वर्ष 2025-26) के दौरान कुल 23,83,765, निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों (डब्ल्यू.ई.आर.) को प्रशिक्षित किया गया था। उक्त अवधि के दौरान प्रशिक्षण प्रदान करने वाले, निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों (डब्ल्यू.ई.आर.) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक II** में दिया गया है। इस योजना के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को घटक-वार धनराशि आवंटित नहीं की जाती है। तथापि, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र मंत्रालय द्वारा जारी की गई निधियों का उपयोग अपनी-अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार करते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी और उपयोग की गई धनराशि का राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के अनुसार विवरण, जिसमें ऐसे राज्य, जिले और निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं, **अनुलग्नक-III** में दिया गया है।
(घ) से (च) महिला-नेतृत्व वाले शासन को बढ़ावा देने के लिए, मंत्रालय ने ग्रामीण शासन के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी और कौशल के साथ महिला पंचायत नेताओं को सशक्त बनाने के लिए दिनांक 4-5 मार्च 2025 को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान सशक्त पंचायत नेत्री अभियान शुरू किया। अभियान के दौरान, बीकन महिला पंचायत नेताओं को ग्रामीण शासन में उनके श्रेष्ठ कार्यों के लिए सम्मानित किया गया है और उन्हें अपने नेतृत्व के अनुभवों को साझा करने और सर्वोत्तम कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए एक राष्ट्रीय प्लेटफ़ॉर्म प्रदान किया गया है।

इस अभियान में एक व्यापक विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल "चैंपियनिंग ऑफ चेंज-एम्पॉवरिंग वीमेन लीडर्स इन लोकल गवर्नेंस एंड बियॉन्ड" को लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों (डब्ल्यू.ई.आर.) की नेतृत्व क्षमता का विकास करना तथा उन्हें सशक्त बनाना है, ताकि वे जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रभावी परिवर्तनकारी एजेंट के रूप में अपनी भूमिका का सफलतापूर्वक निर्वहन कर सकें।

इसके अलावा, पंचायत प्रतिनिधियों के प्रभावी कामकाज को मजबूत बनाने के लिए कई क्षमता-निर्माण पहलें की गई हैं, जिनमें स्वयं के राजस्व स्रोत में वृद्धि, सेवा प्रदायगी में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सशक्तिकरण और प्रबंधन विकास कार्यक्रम आदि शामिल हैं, ताकि उनकी क्षमताओं को मजबूत बनाया जा सके और अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में उनकी कार्यक्षमता को बेहतर बनाया जा सके । ओएसआर और डिजिटल प्लेटफॉर्म में प्रशिक्षित, (डब्ल्यू.ई.आर.) का राज्य/वर्ष-वार विवरण, जिसमें ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र, क्योंझर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र और जलगांव लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रशिक्षण शामिल है, क्रमशः **अनुलग्नक- IV** और **V** में दिया गया है।

मंत्रालय ने वर्ष 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों (एस.डी.जी.) के राष्ट्रीय एजेंडा की प्राप्ति के उद्देश्य से पंचायती राज संस्थाओं (पी.आर.आई.) के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण (एल.एस.डी.जी.) की प्रक्रिया का नेतृत्व किया है। सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण की प्रक्रिया को 17 सतत विकास लक्ष्यों का समेकन करते हुए 9 विषयगत (थीमैटिक) विषयों के माध्यम से परिकल्पित किया गया है, जिसमें विषय-9: महिला अनुकूल पंचायत भी शामिल है। विषय-9 का उद्देश्य एक समावेशी एवं लैंगिक-संवेदनशील स्थानीय शासन प्रणाली का निर्माण करना है, जो जमीनी स्तर पर महिलाओं की भागीदारी, सुरक्षा, अधिकारों एवं सशक्तिकरण को सुनिश्चित करती है।

पंचायती राज संस्थाओं (पी.आर.आई.) के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण (एल.एस.डी.जी.) की प्रक्रिया को निरंतर गति प्रदान करने के लिए मंत्रालय ने पंचायत विकास सूचकांक (पी.ए.आई.), जिसे पूर्व में पंचायत विकास सूचकांक (पी.डी.आई.) के नाम से जाना जाता था, विकसित किया है। यह एक समग्र मूल्यांकन ढांचा है, जिसका उद्देश्य ग्राम पंचायतों/ग्राम पंचायतों के समकक्ष संस्थाओं (जी.पी.) के 9 विषयगत विषयों, जिनमें विषय-9 भी शामिल है, के अंतर्गत वृद्धिशील प्रदर्शन का आकलन करना है।

पंचायत विकास सूचकांक (पी.ए.आई.) ग्राम पंचायतों के लिए स्कोरकार्ड एवं डैशबोर्ड के माध्यम से विषयवार तथा समग्र अंक प्रदान करता है। इससे पंचायत स्तर पर प्रदर्शन में विद्यमान अंतरालों, सापेक्षिक सुदृढ़ताओं तथा विशेष ध्यान अपेक्षित क्षेत्रों की पहचान करने में सुविधा होती है।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय द्वारा सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण (एल.एस.डी.जी.) के विषयों एवं विशेष श्रेणियों के अंतर्गत देशभर की सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों एवं संस्थाओं को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार (एन.पी.ए.) प्रदान किए जाते हैं, जिनमें विषय-9: महिला अनुकूल पंचायत भी शामिल है। वर्तमान में इन पुरस्कारों को पंचायत विकास सूचकांक (पी.ए.आई.) से संबद्ध किया गया है, जो सतत विकास लक्ष्यों (एस.डी.जी.) के अनुरूप लगभग 150 विषयगत संकेतकों के आधार पर ग्राम पंचायतों के प्रदर्शन का आकलन करता है। इससे निर्वाचित प्रतिनिधियों (ई.आर.) को स्थानीय स्तर पर विकास संबंधी प्रयासों में सुधार करने हेतु प्रबल प्रेरणा मिली है तथा ग्रामीण स्थानीय निकायों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन मिला है।

इस मॉड्यूल पर महाराष्ट्र के जलगांव जिले सहित कुल 1,53,616 महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों (दिनांक 10 जुलाई, 2026 की स्थिति के अनुसार) को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस विशेष मॉड्यूल पर प्रशिक्षित निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक-VI** में दिया गया है।

अनुलग्नक -I

"पंचायती राज संस्थाओं में महिला प्रतिनिधि" के संबंध में लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या *__333__ जिसका उत्तर दिनांक **11.08.2026** को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

वित्त वर्ष 2022-23 से 2026-27 के दौरान (10.07.2026 की स्थिति के अनुसार) संशोधित आरजीएसए के तहत प्रशिक्षित निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

क्र. स.	राज्य	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27 (10.07.2026 तक)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	217	9	270	721	0
2	आंध्र प्रदेश	1060	15303	30947	76806	782
3	अरुणाचल प्रदेश	1002	507	975	3668	0
4	असम	25277	7932	997	47189	752
5	बिहार	191234	32751	125252	37728	4166
6	छत्तीसगढ़	53423	36934	13025	90762	7673
7	गोवा	600	1173	1448	525	118
8	गुजरात	86	4	8133	1943	541
9	हरियाणा	1691	2324	84	39649	351
10	हिमाचल प्रदेश	718	14376	17544	1148	0
11	जम्मू और कश्मीर	107089	68072	7	0	0
12	झारखंड	1700	23802	19786	43325	0
13	कर्नाटक	58233	50894	31857	30156	0
14	केरल	33749	13437	11467	14160	0
15	लद्दाख	0	0	0	27	0
16	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
17	मध्य प्रदेश	27684	13478	39489	111555	5048
18	महाराष्ट्र	181689	180760	71831	39291	11313
19	मणिपुर	1	233	12	844	18
20	मेघालय	2727	25820	25359	46241	0
21	मिज़ोरम	335	2146	1749	4268	2169

22	नागालैंड	38	275	1064	610	86
23	ओडिशा	39865	29072	53501	15274	3945
24	पुदुच्चेरी	0	0	0	0	0
25	पंजाब	11492	3543	19914	51370	4370
26	राजस्थान	113	26009	5015	7414	0
27	सिक्किम	1324	1542	1445	1344	300
28	तमिलनाडु	42160	64765	27737	12298	2440
29	तेलंगाना	564	12	7	42629	6206
30	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	215	357	225	1454	306
31	त्रिपुरा	1840	22146	18373	28768	5159
32	उत्तर प्रदेश	12459	29952	17626	86982	0
33	उत्तराखंड	133173	41182	8333	38021	0
34	पश्चिम बंगाल	39483	98104	80630	66004	3080
	केंद्र स्तर	453	74	206	295	60
	कुल	**971694**	**806988**	**634308**	**942469**	**58883**

स्रोत: प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल के अनुसार

अनुलग्नक II

"पंचायती राज संस्थाओं में महिला प्रतिनिधि" के संबंध में लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या *__333__ जिसका उत्तर दिनांक **11.08.2026** को दिया जाना है**,** के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

वित्त वर्ष 2023-24 से 2025-26 के दौरान संशोधित आरजीएसए के तहत प्रशिक्षित निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2023-24	2024-25	2025-26
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	9	270	721
2	आंध्र प्रदेश	15,303	30,947	76,806
3	अरुणाचल प्रदेश	507	975	3,668
4	असम	7,932	997	47,189
5	बिहार	32,751	1,25,252	37,728
6	छत्तीसगढ़	36,934	13,025	90,762
7	गोवा	1,173	1,448	525
8	गुजरात	4	8,133	1,943
9	हरियाणा	2,324	84	39,649
10	हिमाचल प्रदेश	14,376	17,544	1,148
11	जम्मू और कश्मीर	68,072	7	-
12	झारखंड	23,802	19,786	43,325
13	कर्नाटक	50,894	31,857	30,156
14	केरल	13,437	11,467	14,160
15	लद्दाख	-	-	27
16	लक्षद्वीप	-	-	-
17	मध्य प्रदेश	13,478	39,489	1,11,555
18	महाराष्ट्र	1,80,760	71,831	39,291
19	मणिपुर	233	12	844
20	मेघालय	25,820	25,359	46,241
21	मिज़ोरम	2,146	1,749	4,268
22	नागालैंड	275	1,064	610
23	ओडिशा	29,072	53,501	15,274

24	पुदुच्चेरी	-	-	-
25	पंजाब	3,543	19,914	51,370
26	राजस्थान	26,009	5,015	7,414
27	सिक्किम	1,542	1,445	1,344
28	तमिलनाडु	64,765	27,737	12,298
29	तेलंगाना	12	7	42,629
30	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	357	225	1,454
31	त्रिपुरा	22,146	18,373	28,768
32	उत्तर प्रदेश	29,952	17,626	86,982
33	उत्तराखंड	41,182	8,333	38,021
34	पश्चिम बंगाल	98,104	80,630	66,004
	केंद्र स्तर	74	206	295
	कुल	**8,06,988**	**6,34,308**	**9,42,469**

स्रोत: प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल के अनुसार

अनुलग्नक III

"पंचायती राज संस्थाओं में महिला प्रतिनिधि" के संबंध में लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या *__333__ जिसका उत्तर दिनांक **11.08.2026** को दिया जाना है, के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

पिछले तीन वर्षों के दौरान संशोधित आरजीएसए के तहत जारी और उपयोग की गई निधियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति

(रुपये करोड़ में)

क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2023-24		2024-25		2025-26	
		जारी की गई निधियाँ	उपयोग की गई निधियाँ	जारी की गई निधियाँ	उपयोग की गई निधियाँ	जारी की गई निधियाँ	उपयोग की गई निधियाँ
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.79	1.28	2.12	1.18	1.00	2.12
2	आंध्र प्रदेश	0.00	21.35	2.52	59.64	35.00	77.29
3	अरुणाचल प्रदेश	72.09	89.97	70.00	77.94	57.00	62.51
4	असम	77.70	91.41	60.00	71.87	64.00	72.09
5	बिहार	25.00	51.81	0.00	75.08	26.00	40.00
6	छत्तीसगढ़	17.57	22.25	16.50	34.12	29.00	42.77
7	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	1.00	0.38	1.00	0.24	1.25	1.99
8	गोवा	0.89	1.00	1.35	1.29	1.00	2.39
9	गुजरात	0.00	1.28	0.00	15.48	8.00	15.57
10	हरियाणा	0.00	8.84	5.00	8.22	17.91	37.82
11	हिमाचल प्रदेश	19.31	69.30	27.21	42.94	14.00	21.63
12	जम्मू और कश्मीर	65.00	98.61	65.00	57.89	57.00	78.99
13	झारखंड	31.00	25.95	0.00	26.47	15.20	33.51
14	कर्नाटक	20.00	39.02	16.25	49.53	11.03	24.53
15	केरल	10.00	37.04	10.00	32.65	18.00	28.97
16	लद्दाख	1.00	0.80	0.00	0.58	0.72	0.92
17	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

18	मध्य प्रदेश	32.17	74.16	40.00	96.82	49.95	86.19
19	महाराष्ट्र	116.12	194.26	80.00	134.79	54.49	91.33
20	मणिपुर	9.56	8.34	0.00	3.91	1.48	9.79
21	मेघालय	6.00	6.26	8.00	7.60	5.02	6.72
22	मिज़ोरम	10.00	15.64	12.00	19.63	16.50	21.03
23	नागालैंड	10.00	5.46	10.00	15.32	10.70	13.16
24	ओडिशा	27.33	44.22	20.00	60.15	62.24	109.62
25	पुदुच्चेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	पंजाब	10.00	23.06	5.00	23.89	30.30	56.93
27	राजस्थान	21.72	40.12	15.00	30.88	13.00	42.13
28	सिक्किम	6.00	7.90	7.00	7.19	3.21	6.79
29	तमिलनाडु	0.00	25.98	45.00	63.69	20.00	59.03
30	तेलंगाना	20.00	20.47	0.00	8.99	3.00	29.31
31	त्रिपुरा	7.43	10.96	10.00	20.24	29.99	32.40
32	उत्तर प्रदेश	84.13	158.95	38.77	180.84	28.05	80.67
33	उत्तराखंड	64.67	66.29	50.00	63.72	44.09	49.45
34	पश्चिम बंगाल	33.69	57.32	52.68	82.56	40.00	77.49
	अन्य कार्यान्वयन एजेंसी	**14.69**	**-**	**23.77**		**23.63**	
	कुल	**814.86**	**1319.68**	**694.17**	**1375.34**	**791.76**	**1338.77**

नोट: निधि के उपयोग में केंद्र का हिस्सा, राज्य का हिस्सा और पिछले वर्ष की अव्ययित शेष राशि शामिल है। जारी की गई धनराशि केवल केंद्र के हिस्से का प्रतिनिधित्व करती है।

अनुलग्नक IV

"पंचायती राज संस्थाओं में महिला प्रतिनिधि" के संबंध में लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या *__333__ जिसका उत्तर दिनांक **11.08.2026** को दिया जाना है**,** के भाग (घ) से **(**च) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

स्वयं के राजस्व स्रोत मॉड्यूल में प्रशिक्षित निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों (डब्ल्यूईआर) का राज्यवार विवरण

क्र.स.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**2025-26**	**2026-27 (10 जुलाई की स्थिति के अनुसार)**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	6	-
2	आंध्र प्रदेश	483	-
3	अरुणाचल प्रदेश	23	-
4	असम	736	44
5	बिहार	859	-
6	छत्तीसगढ़	-	-
7	गोवा	-	-
8	गुजरात	-	-
9	हरियाणा	1,428	-
10	हिमाचल प्रदेश	64	-
11	जम्मू और कश्मीर	-	-
12	झारखंड	156	-
13	कर्नाटक	2,236	-
14	केरल	5	-
15	लद्दाख	-	-
16	लक्षद्वीप	-	-
17	मध्य प्रदेश	513	1,881
18	महाराष्ट्र	2,299	217
19	मणिपुर	-	-
20	मेघालय	-	-
21	मिज़ोरम	331	-
22	नागालैंड	-	-
23	ओडिशा	718	169

24	पुदुच्चेरी	-	-
25	पंजाब	-	-
26	राजस्थान	95	-
27	सिक्किम	85	-
28	तमिलनाडु	1,489	-
29	तेलंगाना	-	3,375
30	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	24	-
31	त्रिपुरा	547	-
32	उत्तर प्रदेश	6,631	-
33	उत्तराखंड	-	-
34	पश्चिम बंगाल	1,676	1,808
	केंद्र स्तर	-	-
	कुल	**20,404**	**7,494**

स्रोत: प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल के अनुसार

अनुलग्नक V

"पंचायती राज संस्थाओं में महिला प्रतिनिधि" के संबंध में लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या *__333__ जिसका उत्तर दिनांक **11.08.2026** को दिया जाना है**,** के भाग (घ) से **(**च) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

डिजिटल शासन/साक्षरता में प्रशिक्षित निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों (डब्ल्यूईआर) का विवरण

क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27 (10 जुलाई तक)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-	-	91	-	-
2	आंध्र प्रदेश	-	-	1	7	-
3	अरुणाचल प्रदेश	-	6	-	2	-
4	असम	-	29	-	2,306	-
5	बिहार	234	1,425	5,853	2,145	-
6	छत्तीसगढ़	-	314	1	-	-
7	गोवा	-	14	130	-	-
8	गुजरात	-	-	-	-	-
9	हरियाणा	-	-	80	2,048	-
10	हिमाचल प्रदेश	7	116	124	3	-
11	जम्मू और कश्मीर	-	399	-	-	-
12	झारखंड	-	-	184	573	-
13	कर्नाटक	61	2,379	-	-	-
14	केरल	646	-	9	51	-
15	लद्दाख	-	-	-	-	-
16	लक्षद्वीप	-	-	-	-	-
17	मध्य प्रदेश	-	1,275	482	1,817	-
18	महाराष्ट्र	-	9	-	-	-
19	मणिपुर	-	2	-	-	-
20	मेघालय	-	-	169	-	-
21	मिज़ोरम	-	-	-	383	220
22	नागालैंड	-	-	-	-	-

23	ओडिशा	-	-	77	178	34
24	पुदुच्चेरी	-	-	-	-	-
25	पंजाब	-	1	-	-	-
26	राजस्थान	-	18	49	55	-
27	सिक्किम	-	-	-	46	-
28	तमिलनाडु	-	-	239	-	-
29	तेलंगाना	-	-	-	-	-
30	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	-	-	27	27	-
31	त्रिपुरा	5	-	-	-	-
32	उत्तर प्रदेश	-	-	877	7,529	-
33	उत्तराखंड	38,935	5,526	20	-	-
34	पश्चिम बंगाल	3,212	3,144	212	16,669	-
	केंद्र स्तर	2	2	-	-	-
	कुल	**43,102**	**14,659**	**8,625**	**33,839**	**254**

स्रोत: प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल के अनुसार

अनुलग्नक -VI

"पंचायती राज संस्थाओं में महिला प्रतिनिधि" के संबंध में लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या *__333__ जिसका उत्तर दिनांक **11.08.2026** को दिया जाना है**,** के भाग (घ) से **(**च) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

10 जुलाई 2026 की स्थिति के अनुसार विशेष मॉड्यूल पर प्रशिक्षित डब्ल्यूईआर का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल प्रतिभागी
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	286
2	आंध्र प्रदेश	5523
3	अरुणाचल प्रदेश	88
4	असम	3346
5	बिहार	3063
6	छत्तीसगढ़	2240
7	गोवा	31
8	गुजरात	76
9	हरियाणा	3694
10	हिमाचल प्रदेश	83
11	जम्मू और कश्मीर	5
12	झारखंड	25931
13	कर्नाटक	21291
14	केरल	962
15	लद्दाख	2
16	लक्षद्वीप	0
17	मध्य प्रदेश	28690
18	महाराष्ट्र	10966
19	मणिपुर	853
20	मेघालय	4691
21	मिज़ोरम	147
22	नागालैंड	81

23	ओडिशा	3830
24	पुदुच्चेरी	0
25	पंजाब	5054
26	राजस्थान	12599
27	सिक्किम	339
28	तमिलनाडु	9679
29	तेलंगाना	11
30	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	0
31	त्रिपुरा	736
32	उत्तर प्रदेश	6122
33	उत्तराखंड	248
34	पश्चिम बंगाल	2945
	केंद्र स्तर	4
	कुल	153616

स्रोत: प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल के अनुसार
